order Sheet [Contd]

Order or Fraceeding

Order or proceeding with Signature of presiding

Parties or Pleaders where necessa

12-11-16

परिवादी विद्युत विभाग द्वारा कार्यापालन यंत्री की ओर से सहायक -यंत्री / कनिष्ठ यंत्री मालनपुर राहित उनके अधिवक्ता श्री १०५० श्रीवास्त्व ... उप0।

आरोपी/गण सहित/द्वारा अधि० श्री खुर्बि र

उप0/आरोपी अनुपस्थिति।

प्रकरण नेशनल/मेगा लोक अदालत में पेश हुआ है।

यंह परिवाद विद्युत विभाग द्वारा धारा 138(1)ख विद्युत -अधिनियम के तहत आरोपीपक्ष के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। इस परिवाद में आरोपी पक्ष पर धारा 138(1)ख विद्युत अधिनियन का आरोप लगाया गया है।

उक्त परिवाद मामले में विद्युत विभाग की और से उक्त कार्यपालन यंत्री की ओर से सहायक यंत्री / किनष्ठ यंत्री ने अपने अधिवदता सहित एक आदेदन पेश कर नेवेदन किया कि इस गामले में आरोपी पक्ष के द्वारा दिशुत विल की बेकाया राशि जन की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में लोकहित में परिवादी विद्युत विभाग यह परिवाद बढाना नहीं चाहता है. कार्यवाही रामाप्त की जावे। इतिहास अवह असून द्वार अधीता स्थ

सुनाया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। उनल आवेदन के आलोक में इस नेशनल/मेगा लोकअदालत में परिवादी विद्युत विभाग का उक्त आवेदन स्वीकार किया जाता है। उक्ल आरोपी का अगर जमानती/गिरफ्तारी वारंट जारी हो तो उसे अदम बुलाने हेतु पत्र अविलंब जारी हो।

प्रकरण में कोई जप्ताशुदा सम्पत्ति नहीं है। परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे!

२वन्डपी सदस्य इ०। न्भ जी । एत मुर्जि एक पीठासीन अधिकारी खण्डपीत क0-19

ेएवं विशेष न्यायाधीश विद्युत आंगानेस्क े गिहर जिला विकेश